न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 71/2015

रामकुमार पुत्र गोविन्दराम जाति बिश्नोई निवासी 16 के डी (ए) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सन्तलाल पुत्र गोविन्दराम जाति बिश्नोई निवासी 16 के डी (ए) तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर—मृतक

1/1	कृष्णा देवी पत्नी सन्तलाल	जाति बिश्नोई निवासी 16 के डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
1/2	मुरली पुत्र सन्तलाल	
1/3	जयपाल पुत्र सन्तलाल	

1/4 सुमित्रा पुत्री सन्तलाल पत्नी बलराम जाति बिश्नोई निवासी रामसरिया तहसील अबोहर (पंजाब)।

1/5 सीता पुत्री सन्तलाल पत्नी विजयपाल जाति बिश्नोई निवासी सीतो तहसील अबोहर (पंजाब)।

1/6 माया पुत्री सन्तलाल पत्नी सुभाष जाति बिश्नोई निवासी खीचड़ांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

1/7 शर्मिला पुत्री सन्तलाल पत्नी मुकेश जाति बिश्नोई निवासी बिशनपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल सीतो तहसील अबोहर (पंजाब)।

2. बनवारी लाल		पिसरान गोविन्दराम जाति बिश्नोई निवासी दुलपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. कलवन्त		

4. ओ. बी. सी. बैंक शाखा रावला मण्डी (रहन दर्ज)।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घड़साना। —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 14.07.2015

23/4/18

उपस्थितिः–

श्री राजीव जग्गा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री बलदेव सिंह, अभिभाषक संख्या 1 से 3

श्री वेद प्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 पेशकर कथन किया चक 16 के डी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 90/33 व 90/41 की 6.476 हैक्टेयर भूमि में से घरेलू बंटवारा अनुसार वादी के हिस्सा में आई मुरब्बा नम्बर 90/33 का किला नम्बर 16, 21 से 25 व 90/41 के किला नम्बर 24, 25 कुल 1.619 हैक्टेयर कमाण्ड रकबे को परिवर्तित नहीं किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे उक्त भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं करें।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर प्रतिदावा में पक्षकारों के नाम अंकित भूमि अनुसार बंटवारा करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा पेश कर जवाब दावा की मद संख्या 3 अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया।

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित आठ वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि जब तक विवादित भूमि रहन मुक्त नहीं हो जाती वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दावा एवं जवाब दावा तथा प्रतिदावा के अनुसार वाद का निर्णय

23/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करने हेतु निवेदन किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि जब तक विवादित भूमि रहन मुक्त नहीं हो जाती तब तक वाद डिक्री नहीं किया जा सकता, जो उचित नहीं है। इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार घड़साना से भूमि पर रहन मुक्त प्रमाण पत्र तलब करने पर तहसीलदार रावला द्वारा दिनांक 04.04.2018 को भूमि प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिसमें रहन भूमि बनवारी लाल व बलवन्त के हिस्से की भूमि रहन है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.15 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि बनवारी लाल व बलवन्त के हिस्से को रहन दर्ज करते हुए पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर